

**न्यायालय:-उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला-सलुम्बर (राज.)**

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 75/2015 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर-2015/01112

उनवान

1. श्री दिलीपसिंह पिता जोरावरसिंह राजपुत उम्र बालिग निवासी बान्दरवाडा तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)।

-वादी

बनाम

1. श्री रतनसिंह पिता जोरावरसिंह राजपुत उम्र बालिग
2. श्रीमती सरसीकुँवर पत्नी वकतसिंह राजपुत उम्र बालिग निवासीयान बान्दरवाडा तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)।
3. भूमिधारी तहसीलदार सलुम्बर तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)

-प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

-:निर्णय:-

दिनांक:- 01/12/2025



उपस्थिति: श्री गोबीलाल मेहता अधिवक्ता-वादी  
प्रतिवादीगण-एक पक्षीय

वादी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। जिसमे न्यायालय ने निर्णय दिनांक 17-03-2020 द्वारा वादी का पांती बंटवाडा का एवं स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद स्वीकार कर प्रकरण मे बंटवाडे की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट तहसीलदार सलुम्बर के पत्रांक 736 दिनांक 24-10-2025 से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट का अवलोकन वकील वादी को करवाया गया। वकील वादी द्वारा मुताबिक रिपोर्ट अन्तिम डिक्री करवाया जाना जाहिर किया है। वकील वादी को सुनने व पालना रिपोर्ट के अवलोकन किया गया। खातेदार रतनसिंह पिता जोरावरसिंह अपने हिस्से मेसे आराजी नम्बर 582/3 रकबा 0.30 हैक्टेयर मेसे 0.15 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 582/5 रकबा 0.74 हैक्टेयर मेसे 0.07 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि श्री जोरावरसिंह पिता अनोपसिंह को विक्रय कीया जाना जाहिर आया है माफिक विक्रय पत्र उक्त हिस्सा प्रतिवादी रतनसिंह पिता जोरावरसिंह के हिस्से मेसे कम कर क्रेता के हिस्से रहेगा। पालना रिपोर्ट अवलोकन उपरान्त मौजा बान्दरवाडा हाल खाता संख्या 41 आराजी नम्बर 582, 582/3, 583/2, 603/2, 582/5, 585/2 कुल किता 06 कुल रकबा 1.98 हैक्टेयर आराजियात की भूमि मे निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते है-

सहायक कलेक्टर सलुम्बर  
जिला सलुम्बर

क्र. स.	काश्तकार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रूपये)
1	जोरावर सिंह पिता अनोपसिंह राजपुत सा. देह खातेदार	582/5/1	0.22	0.25
	<b>योग</b>	<b>किता-1</b>	<b>रकबा-0.22</b>	<b>0.25</b>
2	दिलीपसिंह पुत्र जोरावरसिंह राजपुत सा. देह खातेदार	582/5/2	0.22	0.26
		583/1	0.12	0.14
		582/3	0.30	0.35
		603/1	0.2280	0.64
	<b>योग</b>	<b>किता-4</b>	<b>रकबा-0.8650</b>	<b>1.39</b>
3	रतनसिंह पुत्र जोरावरसिंह सा. देह. खातेदार	582/5 मी	0.05	0.06
		603 मी	0.4100	1.16
	<b>योग</b>	<b>किता-2</b>	<b>रकबा-0.4550</b>	<b>1.22</b>
4	सरसी कुँवर पत्नी वकतसिंह राजपुत सा. देह खातेदार	582/5/4	0.25	0.29
	<b>योग</b>	<b>किता-01</b>	<b>रकबा 0.25</b>	<b>0.29</b>
5	दिलीपसिंह पुत्र जोरावरसिंह 1/2 रतनसिंह पुत्र जोरावरसिंह 1/2 सा.देह खातेदार	582मी.	0.07	0.08
		585	0.12	0.14
	<b>योग</b>	<b>किता -02</b>	<b>रकबा-0.19</b>	<b>0.22</b>

प्रस्तावित नक्शा ट्रेस डिक्री का जूज हिस्सा रहेगा। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि माफिक निर्णय एवं बंटवाडे के वादी के हिस्से की आराजीयात की भूमि में बेजामजामत व दखलन्दाजी नही करे, ना ही उक्त कृत्य अपने नौकरो अथवा परिजनो से करावे। इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण पाबंद रहे।

माफिक निर्णय अंतिम डिक्री कायम हो। पालनार्थ निर्णय की एक प्रति भूमिधारी तहसीलदार झल्लारा को भेजी जावे। तहसीलदार झल्लारा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे अपील अवधि समाप्त होने के उपरान्त निर्णय अनुसार पालना की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय दिनांक 01/12/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)  
उपखण्ड अधिकारी, सलूमबर  
जिला-सलूमबर

## मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश-20 के नियम-6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सलुम्बर

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 75/2015 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर-2015/01112

उनवान

1. श्री दिलीपसिंह पिता जोरावरसिंह राजपुत उम्र बालिग निवासी बान्दरवाडा तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)।

-वादी

बनाम

1. श्री रतनसिंह पिता जोरावरसिंह राजपुत उम्र बालिग
2. श्रीमती सरसीकुंवर पत्नी वकतसिंह राजपुत उम्र बालिग  
निवासीयान बान्दरवाडा तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)।
3. भूमिधारी तहसीलदार सलुम्बर तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री दिनांक:- 01/12/2025

वादी पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 रा.का.अ. के लिए दावा वादी की और से एडवोकेट श्री गेबीलाल मेहता एवं प्रतिवादीगण एक पक्षीय उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 01/12/2025 को अदालत में समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है कि मौजा बान्दरवाडा हाल खाता संख्या 41 आराजी नम्बर 582, 582/3, 583/2, 603/2, 582/5, 585/2 कुल किता 06 कुल रकबा 1.98 हैक्टेयर आराजियात की भूमि में निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते हैं-

क्र. स.	काश्तकार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रूपये)
1	जोरावर सिंह पिता अनोपसिंह राजपुत सा. देह खातेदार	582/5/1	0.22	0.25
योग		किता-1	रकबा-0.22	0.25
2	दिलीपसिंह पुत्र जोरावरसिंह राजपुत सा. देह खातेदार	582/5/2	0.22	0.26
		583/1	0.12	0.14
		582/3	0.30	0.35
		603/1	0.2280	0.64



सहायक कलेक्टर सलुम्बर  
जिला सलुम्बर

योग		किता-4	रकबा-0.8650	1.39
3	रतनसिंह पुत्र जोरावरसिंह सा. देह. खातेदार	582/5 मी	0.05	0.06
		603 मी	0.4100	1.16
योग		किता-2	रकबा-0.4550	1.22
4	सरसी कुँवर पत्नी वकतसिंह राजपुत सा. देह खातेदार	582/5/4	0.25	0.29
योग		किता-01	रकबा 0.25	0.29
5	दिलीपसिंह पुत्र जोरावरसिंह 1/2 ,रतनसिंह पुत्र जोरावरसिंह 1/2 सा.देह खातेदार	582मी.	0.07	0.08
		585	0.12	0.14
योग		किता -02	रकबा-0.19	0.22

प्रस्तावित नक्शा ट्रेस डिक्री का जूज हिस्सा रहेगा। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि माफिक निर्णय एवं बंटवाडे के वादी के हिस्से की आराजीयात की भूमि में बेजामजामत व दखलन्दाजी नही करे, ना ही उक्त कृत्य अपने नौकरो अथवा परिजनो से करावे। इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण पाबंद रहे।

इस वाद के खर्चे पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 04/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलेक्टर सलुम्बर  
सलुम्बर  
जिला सलुम्बर

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	01	-	शक्ति-पत्र के लिए स्टाम्प	01	-
2. शक्ति-पत्र के लिए स्टाम्प	01	-	अर्जी के लिए स्टाम्प	-	-
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	01	-	प्लीडर की फीस	-	-
4. रूपयेपरप्लीडर की फीस	-	-	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	-	-
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	-	-	आदेशिका की तामील	-	-
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	-	कमिश्नर की फीस	-	-
7. आदेशिका की तामील	-	-		-	-
योग	05	-	योग	01	-

उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलेक्टर सलुम्बर  
सलुम्बर  
जिला सलुम्बर